न्यायालय :–प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ म0प्र0
(समक्ष :–शुभम डहेरिया)

Case No.	RCS A-31/2025
CNR No.	MP3601-001159-2025
Filing No.	189/2025
Filing Date	03-03-2025

सुनील जैन तनय स्व. चिंतामन जैन, आयु 56 वर्ष,
निवासी–मझार जैन मंदिर के सामने मुकेश लॉज
के पास, तहसील व जिला टीकमगढ (म.प्र.)

............वादी

–: **विरुद्ध** :–

1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद जिला टीकमगढ (म.प्र.)
2. रामस्वरूप पटैरिया तनय स्व. श्री राजाराम पटैरिया,
आयु 59 वर्ष, तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद जिला टीकमगढ (म.प्र.)
हाल पदस्थ–नगरपालिका परिषद जतारा
जिला टीकमगढ (म.प्र.)
3. पवन कुमार जैन तनय दीपचंद्र जैन,
निवासी–भटनागर कॉलोनी वार्ड नंबर–18
जिला टीकमगढ (म.प्र.)

.............प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.के खरे।
वादी कमांक 1 की ओर से अधि0 श्री पी.एन तिवारी।
वादी कमांक 2 की ओर से अधि0 श्री विनोद पाठक ।
वादी कमांक 3 की ओर से अधि0 श्री मनोज वर्मा।

–:: **निर्णय** ::–

(आज दिनांक 24.07.2026 को घोषित)

1. वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दुकान कमांक 33 एवं 34 स्थित नगरपालिका परिषद टीकमगढ सरदार सिंह कॉम्पलेक्स के सामने, जिला टीकमगढ (म.प्र.), के संबंध में आदेश दिनांक 14.02.2025

को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रदाय किये जाने के अनुतोष बावत् प्रस्तुत किया है।

2. वादपत्र के अभिवचन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी का कथन है कि वह नगरपालिका परिषद, टीकमगढ़ की सरदार सिंह कॉम्पलेक्स स्थित दुकान क्रमांक 33 एवं 34 का वैध किरायेदार है तथा दोनों दुकानों का नियमित किराया जमा करता रहा है और उस पर कोई बकाया नहीं है। उक्त दुकानों के पीछे स्थित बरामदों को अपने व्यवसाय के उपयोग हेतु कवर करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए उसने दिनांक 19.12.2024 को प्रतिवादी क्रमांक 1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 24.12.2024 को आदेश पारित कर प्रत्येक बरामदे के लिए ₹500 प्रतिमाह अतिरिक्त किराया एवं ₹20,000–₹20,000 अमानत राशि जमा कराने की शर्त पर अपने व्यय से अस्थायी निर्माण करने की अनुमति प्रदान की गई थी, और उसने दिनांक 09.01.2025 को दोनों दुकानों के संबंध में ₹20,000–₹20,000 की अमानत राशि जमा कर दी तथा अनुमति के अनुसार अपने व्यय से लगभग ₹1,50,000 खर्च कर बरामदों को दीवार, गेट, जाली, विद्युत एवं जल फिटिंग आदि सहित कवर कर उनका उपयोग अपने व्यवसाय हेतु प्रारंभ कर दिया। निर्माण कार्य के समय किसी प्रकार की आपत्ति नगरपालिका अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई।

3. वादी ने आगे यह अभिकथित किया है कि उसके विरोधी पवन कुमार जैन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, बिना किसी जांच, बिना नोटिस एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए, प्रतिवादी द्वारा दिनांक 14.02.2025 का आदेश पारित कर दिनांक 24.12.2024 की स्वीकृति निरस्त कर दी गई तथा अमानत राशि को किराए में समायोजित करते हुए निर्माण हटाने के निर्देश जारी किए गए। उक्त निरस्तीकरण आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत, अवैधानिक एवं अधिकार क्षेत्र से परे है, क्योंकि स्वी कृति निरस्त करने से पूर्व न तो उसे सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही परिषद द्वारा कोई विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया। नगरपालिका द्वारा पूर्व में अन्य दुकानदारों को भी इसी प्रकार बरामदे कवर करने की अनुमति प्रदान की गई थी, जो आज भी प्रभावी है, किन्तु केवल उसके विरुद्ध शिकायत के आधार पर भेदभावपूर्ण कार्यवाही की गई है। वादी ने स्वीकृति

के आधार पर पर्याप्त धनराशि व्यय की है तथा यदि निर्माण हटाया गया तो उसे अपूर्णनीय क्षति होगी। वादी ने प्रतिवादीगण को विधिक सूचना प्रेषित करने के उपरांत यह वाद प्रस्तुत किया है। अतः वादी द्वारा वाद स्वीकार कर दिनांक 14.02.2025 के निरस्तीकरण के आदेश को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किए जाने तथा प्रतिवादीगण को निर्माण हटाने की कार्यवाही से स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से रोके जाने का निवेदन किया है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि सरदार सिंह कॉम्पलेक्स स्थित दुकान क्रमांक 33 एवं 34 नगरपालिका परिषद, टीकमगढ़ की हैं तथा उक्त दुकानें वादी को किराये पर दिए जाने का तथ्य स्वीकार है, किन्तु वादी द्वारा नियमित किराया जमा किए जाने का तथ्य वादी को स्वयं सिद्ध करना होगा। प्रतिवादी का मुख्य प्रतिरक्षण यह है कि वादी द्वारा कथित दिनांक 19.12.2024 का आवेदन, उसके आधार पर दिनांक 24.12.2024 की निर्माण स्वीकृति तथा दिनांक 14.02.2025 का निरस्तीकरण आदेश नगरपालिका परिषद के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हैं। प्रतिवादी के अनुसार विभाग द्वारा ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, न ही किसी प्रकार की निर्माण स्वीकृति अथवा उसके निरस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। केवल वादी द्वारा ₹20,000–₹20,000 की अमानत राशि जमा किए जाने का अभिलेख उपलब्ध है। यदि वादी ने कोई निर्माण कार्य कराया है तो वह उसके स्वयं के जोखिम एवं उत्तरदायित्व पर कराया गया है, क्योंकि नगरपालिका द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। पवन कुमार जैन की शिकायत, कथित स्वीकृति, निरस्तीकरण आदेश अथवा संबंधित नोटिसों का भी कोई अभिलेख विभाग में उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादी ने वादी द्वारा कथित क्षति एवं अन्य आरोपों का भी खंडन किया है तथा अभिकथन किया है कि इस संबंध में तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा यदि उनके कार्यकाल में कोई कार्यवाही की गई हो तो उसकी जानकारी वर्तमान नगरपालिका प्रशासन को नहीं है तथा इस संबंध में अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण जांच समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अतः उपरोक्त आधारो पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि वादी द्वारा वर्णित अधिकांश तथ्य असत्य एवं विवादित हैं। उसका कहना है कि विवादित बरामदे सार्वजनिक उपयोग के थे तथा एक दुकान से दूसरी दुकान तक आने–जाने के मार्ग के रूप में प्रयुक्त होते थे। वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उसे केवल बरामदे को कवर करने हेतु अपने व्यय पर अस्थायी स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत ₹20,000–₹20,000 की अमानत राशि जमा कराई गई थी। उक्त स्वीकृति में स्पष्ट शर्त थी कि आवश्यकता पड़ने पर नगरपालिका द्वारा निर्माण हटाया जा सकेगा तथा स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी। वादी ने स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए केवल बरामदा कवर करने के स्थान पर पक्का निर्माण कर दीवार, गेट, जालियां, विद्युत एवं जल फिटिंग आदि कराकर एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिससे अन्य दुकानदारों को असुविधा हुई। पवन कुमार जैन द्वारा की गई शिकायत तथा संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन के पत्र दिनांक 11.02.2025 के निर्देशों के आधार पर सार्वजनिक हित में दिनांक 14.02.2025 को अस्थायी स्वीकृति निरस्त कर दी गई तथा वादी द्वारा जमा राशि किराये में समायोजित करते हुए अनधिकृत निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए। अस्थायी स्वीकृति प्रदान करने एवं उसे निरस्त करने के लिए परिषद की बैठक आवश्यक नहीं थी तथा उक्त कार्यवाही उसके वैधानिक अधिकार क्षेत्र में की गई।

6. प्रतिवादी क्रमांक 2 ने यह भी अभिकथन किया है कि वादी द्वारा किया गया व्यय उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने स्वीकृति की शर्तों से परे निर्माण किया। प्रतिवादी क्रमांक 2 को व्यक्तिगत हैसियत से पक्षकार बनाना विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि संबंधित कार्यवाही उसने मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पदेन अधिकारों का प्रयोग करते हुए की थी। प्रतिवादी ने यह भी अभिकथित किया है कि उसे म.प्र. नगरपालिका अधिनियम की धारा 318 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है तथा धारा 319 के अधीन वैधानिक सूचना के अभाव में वाद पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त पवन कुमार जैन, शासन तथा नगर परिषद को पक्षकार न बनाए जाने से आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष भी बताया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर वाद को सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

7. प्रतिवादी कमांक 3 द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि सरदार सिंह कॉम्पलेक्स स्थित दुकान क्रमांक 33 एवं 34 नगरपालिका परिषद की हैं तथा वादी उनका किरायेदार है, किन्तु विवादित दुकानों के पीछे स्थित बरामदे सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्मित हैं। वादी ने किसी वैध अनुमति के बिना उक्त सार्वजनिक बरामदों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर निर्माण किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत कथित निर्माण स्वीकृति को अस्वीकार करते हुए कहा है कि नगरपालिका द्वारा ऐसा कोई वैध स्वीकृति आदेश जारी नहीं किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित एवं जाली हैं। म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 109 के अनुसार राज्य शासन की अनुमति के बिना नगरपालिका अपनी अचल संपत्ति अथवा सार्वजनिक बरामदे पर निर्माण की अनुमति नहीं दे सकती। उसका वादी के साथ पूर्व से दीवानी विवाद लंबित है तथा उसने वादी द्वारा किए गए कथित अवैध निर्माण के संबंध में शिकायतें की थीं। प्रतिवादी के अनुसार वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई वैध कारण प्राप्त नहीं हुआ है तथा वाद का मूल्यांकन एवं न्याय शुल्क भी विधिसम्मत नहीं है।

8. प्रतिवादी क्रमांक 3 ने आगे यह भी अभिकथित किया है कि वादी ने स्वयं को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर यह वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी क्रमांक 3 की पत्नी चन्दा जैन द्वारा उक्त बरामदों के संबंध में व्यवहार वाद क्रमांक 87/2024 पूर्व से विचाराधीन है, जिसमें वर्तमान वादी, प्रतिवादी के रूप में पक्षकार है, तथा उस लंबित वाद को प्रभावित करने के उद्देश्य से वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है। इन आधारों पर प्रतिवादी क्रमांक 3 ने वाद को सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

9. व्यवहार वाद के निराकरण के लिये न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न निर्मित किए गये हैं जिनकी विस्तृत साक्ष्य विश्लेषण पश्चात् उनके निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं :-

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नगरपालिका की वादग्रस्त दुकान कमांक 33 व 34 के संबंध में	**प्रमाणित**

	पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 वादी पर बंधनकारी न होकर शून्य एवं निष्प्रभावी है ?	
2.	क्या वादी उक्त दुकानो का आधिपत्यधारी है ?	**प्रमाणित**
3.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य की उक्त दुकानो में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	**प्रमाणित**
4.	क्या वादी द्वारा व्यवहारवाद का उचित मूल्यांकन कर उचित न्यायालय शुल्क अदा किया गया है ?	**प्रमाणित**
5.	क्या व्यवहार वाद में आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन का दोष विद्यमान है ?	**अप्रमाणित**
6.	सहायता एवं वाद व्यय?	**निर्णय के पैरा क्रमांक 61 अनुसार**

—: सकारण निष्कर्ष एवं आधार :—

10. उपरोक्त वाद प्रश्नो के प्रमाणभार के अनुक्रम में सर्वप्रथम वादी साक्षी क्रमांक 1 सुनील कुमार जैन ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह सरदार सिंह कॉम्पलेक्स, टीकमगढ़ स्थित नगरपालिका की दुकान क्रमांक 33 एवं 34 का किरायेदार है, जहाँ वह होटल का व्यवसाय करता है। उसकी दुकानों के पीछे नगरपालिका का बरामदा स्थित था, जिसे किराये पर लेकर उपयोग करने हेतु उसने दिनांक 19.12.2024 को नगरपालिका में आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा दिनांक 24.12.2024 को स्वयं के व्यय पर बरामदा कवर करने की अस्थायी स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्रत्येक दुकान के लिए ₹20,000 अमानत राशि एवं ₹500 प्रतिमाह किराया जमा करने का निर्देश दिया गया। उसने दिनांक 09.01.2025 को अमानत राशि जमा कर लगभग डेढ़ से दो लाख रुपये व्यय कर बरामदे को कवर कराया। निर्माण के समय किसी अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। लगभग दो माह पश्चात उसे दिनांक 28.02.2025 को नगरपालिका से सूचना प्राप्त हुई कि पवन जैन की शिकायत के आधार पर निर्माण हटाया जाए, जिसके बाद उसने विधिक नोटिस प्रेषित किया, किन्तु कोई उत्तर प्राप्त

नहीं हुआ। उसने यह भी कहा कि उसी परिसर में अपूर्व जायसवाल को भी दुकान क्रमांक 9, 10, 19 एवं 20 के आगे–पीछे के बरामदे कवर करने की अनुमति दी गई थी और उनका निर्माण आज भी विद्यमान है। उसने न्यायालय में स्वीकृति आदेश, अमानत राशि की रसीदें, निरस्तीकरण सूचना, अपूर्व जायसवाल की स्वीकृति, किराया रसीदें, निर्माण सामग्री के व्यय संबंधी रसीदें तथा विधिक नोटिस एवं डाक रसीद क्रमशः प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–20 के रूप में प्रस्तुत कीं है।

11. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे केवल स्वयं के व्यय पर बरामदा कवर करने की अस्थायी स्वीकृति प्राप्त हुई थी तथा निर्माण के लिए पृथक से कोई आदेश नहीं दिया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि स्वीकृति में कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं थी तथा उसने आदेश प्राप्त होने के लगभग एक माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लिया। उसने यह भी स्वीकार किया कि सरदार सिंह कॉम्पलेक्स की लगभग 80 दुकानें एक समान प्रारूप की हैं तथा सभी दुकानों के पीछे बरामदे बने हुए हैं। उसके अनुसार उसके एवं अपूर्व जायसवाल के अतिरिक्त अन्य कई दुकानदारों ने भी अस्थायी रूप से बरामदे कवर कर रखे हैं, जबकि जिन व्यक्तियों को नगरपालिका से विधिवत स्वीकृति प्राप्त हुई, उन्होंने स्थायी रूप से बरामदे कवर किए हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि निर्माण स्वीकृति के संबंध में नगरपालिका में विधिवत अभिलेख तैयार होते हैं तथा उसके द्वारा दिनांक 19.12.2024 को प्रस्तुत आवेदन भी अभिलेखों में होना चाहिए। उसने कहा कि यदि नगरपालिका ने अपने लिखित कथन में आवेदन एवं स्वीकृति के अस्तित्व से इंकार किया है तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। उसने प्रतिवादियों के इस सुझाव का खंडन किया कि उसने बिना स्वीकृति निर्माण किया अथवा फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं।

12. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी स्वीकृति पवन जैन की शिकायत के आधार पर जांच के पश्चात निरस्त की गई थी तथा उसे प्राप्त स्वीकृति अस्थायी थी। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने आवेदन में केवल बरामदा कवर करने की अनुमति चाही थी तथा गेट, जालियां, नल फिटिंग, पुट्टी अथवा पेंटिंग आदि कराने की अनुमति

न तो मांगी थी और न ही नगरपालिका द्वारा दी गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि स्वीकृति की शर्तों में यह उल्लेख था कि आवश्यकता पड़ने पर नगरपालिका निर्माण हटाने का अधिकार रखेगी। यद्यपि उसने यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा बरामदा कवर करने के कारण दुकानों के बाहर एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाने का मार्ग बंद हो गया था, तथापि उसका कहना था कि परिसर में सभी दुकानदारों का मार्ग इसी प्रकार बंद है तथा उसके निर्माण से किसी को वास्तविक असुविधा नहीं हुई।

13. साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि संबंधित समय पर प्रतिवादी क्रमांक 2 मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर पदस्थ थे तथा स्वीकृति एवं उसका निरस्तीकरण उन्होंने अपने पदेन अधिकारों का प्रयोग करते हुए किया था, व्यक्तिगत हैसियत से नहीं। उसने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान वाद में शासन को पक्षकार नहीं बनाया गया है। साथ ही उसने यह कहा कि स्वीकृति निरस्त करने से पूर्व उसे न तो कोई सुनवाई का अवसर दिया गया, न कोई जांच में बुलाया गया और न ही कोई कारण पूछा गया, इसी कारण उसने निरस्तीकरण आदेश को चुनौती देते हुए यह वाद प्रस्तुत किया है।

14. प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 ओमपाल सिंह भदौरिया ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 21.02.2025 से मुख्य नगरपालिका अधिकारी, टीकमगढ़ के पद पर पदस्थ है तथा विवादित घटनाक्रम उसके पूर्ववर्ती मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री रामस्वरूप पटैरिया के कार्यकाल का है। उसने कहा कि सरदार सिंह कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान क्रमांक 33 एवं 34 तथा उनसे लगी गैलरी नगरपालिका की संपत्ति है तथा उक्त दुकानें वादी को किराये पर दी गई थीं। उसने यह भी कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वादी को उक्त गैलरी किराये पर दी गई थी अथवा उस पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, क्योंकि इस संबंध में उसके कार्यालय में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। उसने केवल यह स्वीकार किया कि दिनांक 09.01.2025 को ₹20,000–₹20,000 की दो रसीदें नगरपालिका कार्यालय से जारी हुई थीं, किन्तु वे किस आधार पर अथवा किस आदेश के अनुपालन में जारी की गईं, इसकी जानकारी उसे नहीं है। उसके अनुसार संबंधित कोई पत्रावली या अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध

नहीं है। उसने यह भी कहा कि बरामदा ग्राहकों के आवागमन के लिए बनाया जाता है तथा एक बार स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है।

15. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा कि उसने दिनांक 21.02.2025 को अपने पूर्वाधिकारी से पदभार ग्रहण किया था तथा उसे यह जानकारी नहीं है कि तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा वादी को दुकान क्रमांक 33 एवं 34 के पीछे स्थित गैलरी को कवर करने की स्वीकृति दी गई थी अथवा नहीं। उसने यह भी कहा कि कथित स्वीकृति से संबंधित कोई अभिलेख अथवा नस्ती नगरपालिका की राजस्व शाखा में उपलब्ध नहीं है तथा उसे यह भी जानकारी नहीं है कि दिनांक 24.12.2024 के कथित आदेश के अनुसार वादी को ₹500 प्रतिमाह किराया एवं ₹20,000–₹20,000 अमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था या नहीं। उसने कहा कि वह प्रदर्श पी–1 पर अंकित मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षरों की पुष्टि नहीं कर सकता तथा यह भी नहीं बता सकता कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को भेजी गई थी अथवा नहीं।

16. साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–2 एवं प्रदर्श पी–3 की रसीदें नगरपालिका कार्यालय की हैं तथा उनमें अंकित राशि नगरपालिका में जमा हुई है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उक्त रसीदों में ''पीछे के बरामदे को कवर करने हेतु'' अंकित है तथा प्रदर्श पी–1 के अनुपालन में उक्त राशि जमा होना दर्शित है, यद्यपि उसने यह कहा कि उसे यह जानकारी नहीं है कि रसीदें किसके द्वारा अथवा किस आधार पर जारी की गई थीं। उसने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–5 नगरपालिका द्वारा जारी सत्यप्रतिलिपि है तथा प्रदर्श पी–6 से प्रदर्श पी–9 के अनुसार किराया राशि नगरपालिका में जमा की गई थी। साक्षी ने आगे कहा कि उसे यह जानकारी नहीं है कि वादी द्वारा बरामदा वर्तमान में भी कवर किया गया है अथवा उसने प्रदर्श पी–10 से प्रदर्श पी–18 के अनुसार निर्माण कार्य में व्यय किया था। उसने इस सुझाव का खंडन किया कि वह मुख्य नगरपालिका अधिकारी होने के कारण सभी अभिलेखों की जानकारी रखते हुए भी न्यायालय में सत्य नहीं बता रहा है अथवा उसने वाद के विचारण के दौरान विशेष रूप से प्रकरण का अध्ययन कर साक्ष्य दिया है।

17. प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 रामस्वरूप पटैरिया ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि विवादित समय में वह नगरपालिका परिषद, टीकमगढ़ में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसके अनुसार वादी ने दिनांक 19.12.2024 को दुकान क्रमांक 33 एवं 34 के आगे–पीछे के बरामदे को कवर करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर दिनांक 24.12.2024 को केवल पीछे के बरामदे को स्वयं के व्यय पर कवर करने की अस्थायी स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त स्वीकृति में यह शर्त थी कि आवश्यकता पड़ने पर इसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है। उसके अनुसार वादी ने स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए केवल बरामदा कवर करने के स्थान पर पूरे बरामदे को बंद कर दिया, जिससे अन्य दुकानदारों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई। इस संबंध में पवन कुमार जैन द्वारा संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, सागर के समक्ष शिकायत की गई, जिसके आधार पर जांच कराई गई और जांच में वादी द्वारा स्वीकृति के विपरीत अनधिकृत निर्माण पाया गया। फलस्वरूप उसने अपने पदेन अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14.02.2025 को वादी की अस्थायी स्वीकृति निरस्त कर दी। उसने यह भी कहा कि उसके विरुद्ध व्यक्तिगत हैसियत से वाद प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि समस्त कार्यवाही उसने पदेन अधिकारी के रूप में की थी।

18. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि विवादित अवधि में वही मुख्य नगरपालिका अधिकारी था तथा वादी नगरपालिका की दुकान क्रमांक 33 एवं 34 का किरायेदार होकर उनमें होटल का व्यवसाय करता है। उसने यह भी स्वीकार किया कि वादी ने बरामदे को कवर करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था तथा प्रदर्श पी–1 के अनुसार उसी के हस्ताक्षरों से वादी को पीछे के बरामदे को स्वयं के व्यय पर कवर करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उसने स्वीकार किया कि उक्त आदेश नगरपालिका के जावक रजिस्टर में दर्ज कर जारी किया गया था तथा उसकी प्रति संबंधित राजस्व अधिकारी को भी भेजी गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–1 के अनुसार प्रत्येक दुकान के पीछे के बरामदे का ₹500 प्रतिमाह किराया तथा ₹20,000–₹20,000 अमानत राशि निर्धारित की गई थी और वादी ने उसी आदेश के पालन में प्रदर्श पी–2 एवं प्रदर्श

पी–3 के अनुसार उक्त राशि नगरपालिका में जमा की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पवन कुमार जैन की शिकायत की जांच के दौरान उसने वादी को कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा न ही उसे सुनवाई का अवसर दिया। उसके अनुसार जांच के दौरान वादी द्वारा बरामदा बंद कर रास्ता अवरुद्ध किया जाना पाया गया था, जिसके आधार पर प्रदर्श पी–4 के माध्यम से स्वीकृति निरस्त की गई। उसने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–1 में आम रास्ता बंद करने का कोई उल्लेख नहीं है तथा उसमें केवल जानवरों एवं गंदगी को रोकने के उद्देश्य से बरामदा कवर करने की अनुमति दी गई थी।

19. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वादी ने बरामदे की भूमि से छत तक दीवार निर्मित कर ली थी तथा बरामदे के आगे लगभग 10 फीट का सार्वजनिक मार्ग है, जो दोनों ओर खुलता है। उसने यह भी स्वीकार किया कि निर्माण का समस्त व्यय वादी ने स्वयं किया था। साथ ही उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–4 में यह उल्लेख नहीं है कि वादी ने प्रदर्श पी–1 की किन शर्तों का उल्लंघन किया है तथा न ही स्वीकृति निरस्त करने से पूर्व उल्लंघन के संबंध में वादी को कोई नोटिस दिया गया अथवा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। उसने यह भी स्वीकार किया कि निरस्तीकरण आदेश पर उसके पदेन अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर हैं। अंत में साक्षी ने कहा कि उसे अपूर्व जायसवाल को वर्ष 1999 में बरामदा कवर करने की अनुमति दिए जाने की जानकारी नहीं है। उसने स्वीकार किया कि उसने स्वयं वादी के निर्माण का निरीक्षण नहीं किया था, बल्कि निरीक्षण टीम द्वारा किया गया था, किन्तु प्रदर्श पी–4 में किसी निरीक्षण दल अथवा उसकी रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है। उसने इस सुझाव का खंडन किया कि शिकायतकर्ता पवन कुमार जैन से निकट संबंध होने के कारण उसने वादी की स्वीकृति दुर्भावनावश निरस्त की थी।

20. प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 3 पवन कुमार जैन ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वादी नगरपालिका परिषद, टीकमगढ़ की आवंटित दुकानों के सार्वजनिक बरामदों पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर चुका है, जिससे उसके हित प्रभावित हुए हैं। उसने कहा कि वादी दुकान क्रमांक 33, 34 एवं 23 का किरायेदार है, जबकि वह स्वयं दुकान

क्रमांक 22 तथा उसकी पत्नी दुकान क्रमांक 32 की किरायेदार है। उसके अनुसार वादी ने अपनी दुकानों के आगे एवं पीछे स्थित सार्वजनिक बरामदों पर अनाधिकृत निर्माण कर सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। उसने यह भी कहा कि उसने उक्त अवैध निर्माण के संबंध में नगरपालिका में शिकायत की थी तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त जानकारी में नगरपालिका ने कथित निर्माण स्वीकृति से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध न होने की जानकारी दी थी। उसके अनुसार वादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत निर्माण स्वीकृति संबंधी दस्तावेज जाली एवं कूटरचित हैं। अपने कथन के समर्थन में उसने नगरपालिका का पत्र, कलेक्टर का आदेश तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए।

21. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि विवादित दुकानें नगरपालिका के स्वामित्व की हैं तथा वर्तमान वाद उसकी अथवा उसकी पत्नी की दुकान क्रमांक 22 एवं 32 से संबंधित नहीं होकर दुकान क्रमांक 33 एवं 34 से संबंधित है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी शिकायत पर नगरपालिका द्वारा वादी के निर्माण का कुछ भाग हटाया गया था। उसने स्वीकार किया कि इस वाद में उसने अपनी शिकायतों की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत नहीं की हैं तथा उसके लिखित कथन में दुकान क्रमांक 32 के संबंध में की गई शिकायतों का भी उल्लेख नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि सरदार सिंह कॉम्प्लेक्स की अनेक अन्य दुकानों के बरामदे भी जाली अथवा शटर लगाकर कवर किए गए हैं, किन्तु उनके संबंध में उसने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके अनुसार उसे केवल अपनी दुकानों से संबंधित विवाद था।

22. साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि नगरपालिका ने दिनांक 24.12.2024 को वादी को प्रदर्श पी–1 के अनुसार निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी या नहीं। उसने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–1 में स्वीकृति का उल्लेख अंकित है तथा यह भी नहीं बता सका कि उक्त दस्तावेज को फर्जी बताते हुए नगरपालिका द्वारा कोई आपराधिक शिकायत या अन्य कार्यवाही की गई हो। उसने स्वीकार किया कि नगरपालिका द्वारा उसे केवल इतना बताया गया था कि उक्त स्वीकृति से संबंधित कोई नस्ती उपलब्ध नहीं है तथा

नगरपालिका ने कभी यह नहीं कहा कि वादी द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि वादी द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करने अथवा अवैध निर्माण करने के संबंध में उसने स्वयं भी कोई स्वतंत्र शिकायत अथवा विधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की है।

23. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वादी की होटल वर्ष 2011 के पूर्व से संचालित थी तथा उसका वादी से अगस्त 2023 से विवाद चल रहा है। उसने यह भी स्वीकार किया कि यह विवाद मुख्यतः नगरपालिका परिषद एवं वादी के मध्य का है, यद्यपि उसके अनुसार वादी के निर्माण से उसका हित प्रभावित हुआ है। उसने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान वाद में उसने अपने किसी कथित अधिकार के संरक्षण हेतु कोई प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं किया है। उसने इस सुझाव का खंडन किया कि अन्य विवादों के कारण उसने प्रतिशोधवश इस वाद में स्वयं को पक्षकार बनवाया है।

<u>वादप्रश्न कमांक 1 का सकारण निष्कर्षः—</u>

24. न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम मूल प्रश्न यह है कि क्या मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नगरपालिका की वादग्रस्त दुकान क्रमांक 33 एवं 34 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 वादी पर बाध्यकारी न होकर शून्य एवं निष्प्रभावी है? उक्त वादप्रश्न का प्रमाण भार <u>भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 104 एवं 105</u> के अनुसार वादी पर है। अतः सर्वप्रथम यह परीक्षण किया जाना आवश्यक है कि क्या वादी यह सिद्ध करने में सफल हुआ है कि उसे विधिवत् निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, उसने उसी स्वीकृति के आधार पर कार्य किया था तथा पश्चात् स्वीकृति को विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत निरस्त किया गया।

25. इस संबंध में वादी ने अपने कथन के समर्थन में वादी साक्षी क्रमांक 1 सुनील कुमार जैन का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। उक्त साक्षी ने स्पष्ट कथन किया कि उसने दिनांक 19.12.2024 को दुकान क्रमांक 33 एवं 34 के पीछे स्थित बरामदे को कवर करने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर दिनांक 24.12.2024 को मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा

स्वयं के व्यय पर बरामदा कवर करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृति के अनुपालन में उसने ₹20,000–₹20,000 अमानत राशि तथा मासिक किराया जमा किया तथा लगभग डेढ़ से दो लाख रुपये व्यय कर निर्माण कराया। उसने यह भी कहा कि निर्माण के समय किसी अधिकारी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई तथा बाद में बिना सुनवाई के उसकी स्वीकृति निरस्त कर दी गई।

26. वादी के उक्त कथन का महत्वपूर्ण समर्थन स्वयं तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 रामस्वरूप पटैरिया से प्राप्त होता है। उन्होंने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–1 पर अंकित हस्ताक्षर उनके हैं, उक्त आदेश उनके द्वारा जारी किया गया था, आदेश की जावक प्रविष्टि की गई थी तथा उसकी प्रति संबंधित राजस्व अधिकारी को भी भेजी गई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–2 एवं प्रदर्श पी–3 के अनुसार ₹20,000–₹20,000 की अमानत राशि वादी द्वारा प्रदर्श पी–1 के अनुपालन में नगरपालिका में जमा की गई थी। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति आदेश एवं अमानत राशि संबंधी दस्तावेजों की प्रामाणिकता स्वयं उन्हें जारी करने वाले अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

27. इसके अतिरिक्त वर्तमान मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 ओमपाल सिंह भदौरिया ने यद्यपि यह कहा कि उनके कार्यकाल में इस संबंध की मूल नस्ती उपलब्ध नहीं है, तथापि उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–2 एवं प्रदर्श पी–3 नगरपालिका की वास्तविक रसीदें हैं तथा उनमें ''पीछे के बरामदे को कवर करने हेतु'' राशि जमा होना अंकित है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उक्त रसीदें प्रदर्श पी–1 के अनुपालन में जारी होना अंकित है। केवल मूल अभिलेख उपलब्ध न होने से ऐसे दस्तावेज, जिनकी निष्पादनकर्ता अधिकारी ने पुष्टि कर दी हो, स्वतः अप्रामाणिक नहीं हो जाते।

28. प्रतिवादी क्रमांक 3 पवन कुमार जैन ने अपने कथन में यह अवश्य कहा कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित हैं, किन्तु प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि नगरपालिका द्वारा प्रदर्श पी–1 को फर्जी बताते हुए कोई आपराधिक प्रकरण

अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही की गई हो। उसने यह भी स्वीकार किया कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत केवल इतना बताया गया था कि संबंधित नस्ती उपलब्ध नहीं है। अतः केवल नस्ती का उपलब्ध न होना किसी दस्तावेज को स्वतः कूटरचित सिद्ध नहीं करता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 67 के अनुसार हस्ताक्षर सिद्ध हो जाने पर दस्तावेज का निष्पादन प्रमाणित हो जाता है तथा वर्तमान प्रकरण में दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारी ने स्वयं हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।

29. प्रतिवादीगण का प्रमुख प्रतिरक्षण यह है कि वादी ने स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन कर केवल बरामदा कवर करने के स्थान पर स्थायी निर्माण कर सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। इस संबंध में प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 रामस्वरूप पटैरिया ने ऐसा कथन किया है, किन्तु उनके प्रतिपरीक्षण से यह तथ्य भी सामने आया कि उन्होंने वादी को स्वीकृति निरस्त करने से पूर्व कोई कारण बताओ सूचना नहीं दी, कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया तथा प्रदर्श पी–4 में यह भी उल्लेख नहीं है कि प्रदर्श पी–1 की कौन–सी विशिष्ट शर्त का उल्लंघन किया गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि निरस्तीकरण आदेश में उल्लंघित शर्तों का उल्लेख नहीं है।

30. वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें तीन प्रमुख शर्तें थीं, (i) मासिक किराया जमा करना, (ii) अमानत राशि जमा करना तथा (ii) आवश्यकता पड़ने पर नगरपालिका को निर्माण हटाने का अधिकार रहेगा। इसमें कहीं भी यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है कि यदि वादी दीवार, जाली अथवा अन्य संरचना स्थापित करेगा तो स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी अथवा तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। दूसरी ओर प्रदर्श पी–4 में भी यह नहीं बताया गया कि वादी द्वारा किस विशिष्ट शर्त का उल्लंघन किया गया। किसी प्रशासनिक आदेश का कारणयुक्त होना न्यायिक परीक्षण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।

31. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जहाँ किसी प्रशासनिक निर्णय से किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकार अथवा वैध अपेक्षा प्रभावित होती है, वहाँ उसे पूर्व सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है, जब तक कि विधि द्वारा स्पष्ट रूप से उसका अपवाद न बनाया गया हो।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **State of Orissa vs Dr. (Miss) Binapani Dei, AIR 1967 SC 1269** में प्रतिपादित किया कि ऐसा कोई भी प्रशासनिक आदेश, जो किसी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत **A.K. Kraipak vs Union of India, (1969) 2 SCC 262** में यह प्रतिपादित किया गया कि प्रशासनिक तथा अर्धन्यायिक कार्यवाहियों के बीच का अंतर अत्यंत संकुचित हो गया है तथा जहाँ किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हों वहाँ निष्पक्षता एवं प्राकृतिक न्याय का पालन अनिवार्य है। पुनः न्यायदृष्टांत **Maneka Gandhi vs Union of India, (1978) 1 SCC 248** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य की प्रत्येक प्रशासनिक कार्यवाही न्यायसंगत, निष्पक्ष तथा युक्तिसंगत होनी चाहिए तथा मनमानी प्रशासनिक कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर टिक नहीं सकती।

32. न्यायदृष्टांत **Mohinder Singh Gill vs Chief Election Commissioner, (1978) 1 SCC 405** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि किसी प्रशासनिक आदेश की वैधता का परीक्षण उसी आदेश में अंकित कारणों के आधार पर किया जाएगा तथा बाद में मौखिक साक्ष्य अथवा अतिरिक्त कारण जोड़कर आदेश को वैध नहीं बनाया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में भी प्रदर्श पी–4 में उल्लंघित शर्तों का उल्लेख नहीं है, जबकि न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य में उनका विस्तार से उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश की वैधता का परीक्षण प्रदर्श पी–4 में अंकित कारणों के आधार पर ही किया जाएगा। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत **Kranti Associates (P) Ltd. vs Masood Ahmed Khan, (2010) 9 SCC 496** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कारणयुक्त आदेश (Reasoned Order) न्यायिक समीक्षा का मूल आधार है तथा कारणों का अभाव आदेश को मनमाना बना देता है।

33. जहाँ तक म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 का प्रश्न है, नगरपालिका को सार्वजनिक संपत्ति के प्रबंधन एवं आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी स्वीकृति वापस लेने का अधिकार अवश्य है, किन्तु ऐसा अधिकार भी विधिसम्मत प्रक्रिया तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधीन ही प्रयोग

किया जा सकता है। प्रशासनिक विवेकाधिकार (Administrative Discretion) कभी भी निरंकुश नहीं होता। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने प्रदर्श पी–19 के माध्यम से धारा 319 म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अधीन विधिक सूचना प्रेषित की, जिसका प्रतिवादियों द्वारा कोई उत्तर दिए जाने का प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। यद्यपि धारा 319 मुख्यतः वाद की ग्राह्यता से संबंधित है, तथापि यह तथ्य वादी के आचरण की सद्भावना को भी पुष्ट करता है कि उसने विधिक उपचार अपनाने से पूर्व वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया।

34. अतः अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी प्रदर्श पी–1 के अस्तित्व, उसकी वैध निर्गति तथा उसके अनुपालन में अमानत राशि जमा किए जाने का तथ्य सिद्ध करने में सफल हुआ है। प्रतिवादी यह सिद्ध नहीं कर सके कि उक्त स्वीकृति कूटरचित थी। यद्यपि प्रतिवादी यह स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि वादी ने स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन किया, तथापि निरस्तीकरण आदेश पारित करने से पूर्व वादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, आदेश में उल्लंघित शर्तों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया तथा आदेश पर्याप्त कारणों से समर्थित नहीं है। फलस्वरूप आदेश दिनांक 14.02.2025 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एवं विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित प्रतीत होता है। इसलिए उक्त आदेश वादी के विरुद्ध विधिसम्मत रूप से प्रवर्तनीय नहीं माना जा सकता। अतः वादप्रश्न क्रमांक 1 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादियों के विरुद्ध सिद्ध होता है। फलतः वादप्रश्न कमांक 1 **प्रमाणित** के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

<u>वादप्रश्न कमांक 2 का सकारण निष्कर्षः–</u>

35. हस्तगत प्रकरण में अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या वादी उक्त दुकानों पर आधिपत्यधारी है? उक्त वादप्रश्न का प्रमाण भार <u>भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 104 एवं 105</u> के अनुसार वादी पर है। अतः वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक था कि विवादित दुकान क्रमांक 33 एवं 34 पर उसका वैध आधिपत्य अथवा कब्जा है। इस संबंध में वादी साक्षी क्रमांक 1 सुनील कुमार जैन ने अपने मुख्यपरीक्षण में स्पष्ट कथन

किया है कि सरदार सिंह कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान क्रमांक 33 एवं 34 नगरपालिका परिषद, टीकमगढ़ की हैं तथा उक्त दुकानें उसने नगरपालिका से किराये पर प्राप्त की हैं, जिनमें वह होटल का व्यवसाय संचालित करता है। प्रतिपरीक्षण में भी उसने इस कथन को दोहराया तथा कहा कि वर्ष 2009 से वह उक्त दुकानों का किरायेदार है। उसके इस कथन का प्रतिवादियों द्वारा प्रभावी खंडन नहीं किया जा सका।

36. वादी के उक्त कथन का समर्थन स्वयं प्रतिवादियों के साक्ष्य से भी होता है। प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 रामस्वरूप पटैरिया, जो विवादित अवधि में मुख्य नगरपालिका अधिकारी थे, ने स्पष्ट स्वीकार किया कि दुकान क्रमांक 33 एवं 34 नगरपालिका की हैं तथा वादी उनके किरायेदार हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वादी उक्त दुकानों में होटल व्यवसाय संचालित करता है तथा उसी के आवेदन पर पीछे के बरामदे को कवर करने की अस्थायी स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी प्रकार प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 ओमपाल सिंह भदौरिया ने भी स्वीकार किया कि दुकान क्रमांक 33 एवं 34 नगरपालिका के स्वामित्व की हैं तथा वादी को किराये पर दी गई थीं।

37. इसी प्रकार प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 3 पवन कुमार जैन ने भी अपने मुख्यपरीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दुकान क्रमांक 33 एवं 34 नगरपालिका की हैं तथा वादी उनका किरायेदार है। उसने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान वाद दुकान क्रमांक 33 एवं 34 से संबंधित है तथा उसकी स्वयं अथवा उसकी पत्नी की दुकान क्रमांक 22 एवं 32 इस वाद का विषय नहीं हैं। यद्यपि उसने वादी द्वारा सार्वजनिक बरामदे पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया है, किन्तु उसने भी वादी के दुकान क्रमांक 33 एवं 34 के किरायेदार एवं कब्जाधारी होने का तथ्य विवादित नहीं किया है। अभिलेख पर उपलब्ध प्रदर्श पी–1 से भी यह तथ्य पुष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद द्वारा वादी के आवेदन पर दुकान क्रमांक 33 एवं 34 के पीछे स्थित बरामदे को कवर करने की अस्थायी स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी प्रकार प्रदर्श पी–2 एवं प्रदर्श पी–3 से यह सिद्ध होता है कि वादी ने उक्त स्वीकृति के अनुपालन में अमानत राशि नगरपालिका में जमा की थी तथा प्रदर्श पी–6 से प्रदर्श पी–9 से यह भी प्रमाणित होता है कि वादी द्वारा

संबंधित बरामदे का किराया भी जमा किया गया। ये समस्त दस्तावेज इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वादी नगरपालिका का मान्यता प्राप्त किरायेदार था तथा उसका विवादित दुकानों पर वैध आधिपत्य था।

38. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 58 के अनुसार जिन तथ्यों का पक्षकारों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, उन्हें पृथक रूप से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दुकान क्रमांक 33 एवं 34 नगरपालिका की हैं तथा वादी उनका किरायेदार है। अतः वादी के उक्त दुकानों पर वैध आधिपत्य का तथ्य वस्तुतः निर्विवाद है। प्रतिवादियों का विवाद केवल बरामदे पर किए गए निर्माण एवं उसकी वैधता तक सीमित है, न कि दुकानों पर वादी के किरायेदारी अधिकार अथवा कब्जे पर। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादियों द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो कि वादी की किरायेदारी समाप्त कर दी गई थी, उसे बेदखल कर दिया गया था अथवा उसका आधिपत्य किसी विधिसम्मत कार्यवाही के माध्यम से समाप्त हो गया था। केवल बरामदे पर किए गए निर्माण को लेकर उत्पन्न विवाद से वादी का मूल किरायेदारी अधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाता।

39. अतः अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी विवादित दुकान क्रमांक 33 एवं 34 का वैध किरायेदार एवं आधिपत्यधारी है। प्रतिवादी इस तथ्य का प्रभावी प्रतिवाद करने में असफल रहे हैं। फलस्वरूप, वादप्रश्न क्रमांक–2 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादियों के विरुद्ध सिद्ध होता है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 2 **प्रमाणित** के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वादप्रश्न कमांक 3 का सकारण निष्कर्षः—

40. उक्त वादप्रश्न के संबंध में यह विचारणीय है कि क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य की उक्त दुकानों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है? उक्त वादप्रश्न का प्रमाण भार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 104 एवं 105 के अनुसार वादी पर है। वादी को यह सिद्ध करना था कि प्रतिवादीगण उसकी वैध एवं विधिसम्मत आधिपत्य में विधि के अधिकार के बिना हस्तक्षेप कर रहे हैं।

41. इस संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि वादप्रश्न क्रमांक 2 के निर्णय में यह न्यायालय यह निष्कर्ष दे चुका है कि वादी नगरपालिका परिषद की दुकान क्रमांक 33 एवं 34 का वैध किरायेदार एवं आधिपत्यधारी है। अतः अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादियों द्वारा किया गया हस्तक्षेप विधिसम्मत था अथवा अवैध। इस संबंध में वादी साक्षी क्रमांक 1 सुनील कुमार जैन ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया कि दिनांक 24.12.2024 को उसे पीछे के बरामदे को कवर करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके आधार पर उसने अमानत राशि एवं किराया जमा कर निर्माण कराया। उसके अनुसार निर्माण पूर्ण होने के लगभग दो माह बाद उसे दिनांक 28.02.2025 को नगरपालिका से सूचना प्राप्त हुई कि पवन कुमार जैन की शिकायत पर निर्माण हटाया जाए। उसने कहा कि स्वीकृति निरस्त करने से पूर्व उसे न तो कोई सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही कोई कारण पूछा गया। प्रतिपरीक्षण में भी उसने इस कथन को दोहराया कि स्वीकृति निरस्त करने के पूर्व उसे कोई नोटिस या जांच की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

42. वादी के उक्त कथन का महत्वपूर्ण समर्थन स्वयं तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 रामस्वरूप पटैरिया के प्रतिपरीक्षण से प्राप्त होता है। उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया कि पवन कुमार जैन की शिकायत की जांच के दौरान उन्होंने वादी को कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा उससे कोई स्पष्टीकरण भी प्राप्त नहीं किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–4 में यह उल्लेख नहीं है कि प्रदर्श पी–1 की किन शर्तों का उल्लंघन किया गया तथा उल्लंघन के संबंध में वादी को कोई कारण बताओ सूचना नहीं दी गई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने स्वयं स्थल निरीक्षण नहीं किया था तथा कथित निरीक्षण टीम का उल्लेख भी प्रदर्श पी–4 में नहीं है।

43. यद्यपि प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 ने यह कथन किया कि वादी द्वारा स्वीकृति के विपरीत सार्वजनिक मार्ग बंद कर दिया गया था, किन्तु इस कथन के समर्थन में न तो निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, न निरीक्षण दल के किसी सदस्य को साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया और न ही ऐसा कोई स्वतंत्र दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया

जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वादी ने वास्तव में स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन किया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 106 के अनुसार जिस तथ्य का विशेष प्रतिपादन कोई पक्ष करता है, उसका प्रमाण भार उसी पर होता है। अतः स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन का तथ्य सिद्ध करने का भार प्रतिवादियों पर था, जिसे वे विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर सके है। प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 ओमपाल सिंह भदौरिया ने भी स्वीकार किया कि उनके कार्यकाल में इस संबंध की मूल नस्ती उपलब्ध नहीं थी तथा उन्हें स्वीकृति अथवा उसके निरस्तीकरण की वास्तविक परिस्थितियों का व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है। उनका कथन मुख्यतः कार्यालयीन अभिलेखों के अभाव पर आधारित है। इसलिए उनका साक्ष्य प्रत्यक्ष ज्ञान का न होकर केवल औपचारिक प्रकृति का है।

44. जहाँ तक प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 3 पवन कुमार जैन का प्रश्न है, उन्होंने यह अवश्य कहा कि वादी ने सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण किया था, किन्तु प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी शिकायतों की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत नहीं की हैं, अन्य दुकानों के बरामदे कवर होने के बावजूद उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की तथा वर्तमान वाद वास्तव में नगरपालिका एवं वादी के मध्य का विवाद है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अपने कथित हितों के संरक्षण के लिए कोई प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उनका साक्ष्य केवल शिकायतकर्ता के रूप में सीमित महत्व का है और उससे यह स्वतः सिद्ध नहीं हो जाता कि नगरपालिका द्वारा अपनाई गई कार्यवाही विधिसम्मत थी।

45. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति के वैध कब्जे अथवा नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law) के अनुसार ही किया जा सकता है। यदि प्रशासनिक प्राधिकारी किसी अधिकार को वापस लेने अथवा प्रतिकूल आदेश पारित करने का निर्णय लेता है तो उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **State of Orissa vs Dr. (Miss) Binapani Dei, AIR 1967 SC 1269** तथा **A.K. Kraipak vs Union of India, (1969) 2 SCC 262** में यह प्रतिपादित किया है कि जहाँ किसी प्रशासनिक आदेश से

किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हों, वहाँ उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत **Maneka Gandhi vs Union of India, (1978) 1 SCC 248** में यह प्रतिपादित किया गया कि राज्य की प्रत्येक प्रशासनिक कार्यवाही न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं युक्तियुक्त होनी चाहिए तथा मनमानी प्रशासनिक कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है।

46. हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 ने स्वयं स्वीकार किया है कि वादी को न तो कारण बताओ सूचना दी गई, न उसका स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया तथा न ही निरस्तीकरण आदेश में उल्लंघित शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया गया। फलतः यह न्यायालय वाद–प्रश्न क्रमांक 1 के निर्णय में यह निष्कर्ष दे चुका है कि दिनांक 14.02.2025 का निरस्तीकरण आदेश विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया है तथा वादी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं है। जब निरस्तीकरण आदेश स्वयं विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण पाया गया है, तब उसी आदेश के आधार पर वादी को निर्माण हटाने हेतु बाध्य करना अथवा उसके कब्जे में हस्तक्षेप करना भी विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। यद्यपि नगरपालिका को म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करने तथा आवश्यकता पड़ने पर अवैध अतिक्रमण हटाने का अधिकार प्राप्त है, तथापि ऐसे अधिकार का प्रयोग भी विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए ही किया जा सकता है। किसी भी वैधानिक शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता।

47. अतः अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विरुद्ध की गई कार्यवाही वैधानिक प्रक्रिया का समुचित पालन किए बिना की गई थी। परिणामस्वरूप वादी के वैध आधिपत्य में किया गया हस्तक्षेप विधिसम्मत न होकर अवैध था। फलस्वरूप, वादप्रश्न क्रमांक–3 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादियों के विरुद्ध सिद्ध होता है। अतः वादप्रश्न कमांक 3 **प्रमाणित** के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

<u>वादप्रश्न कमांक 4 का सकारण निष्कर्षः–</u>

48. उक्त वादप्रश्न के अंतर्गत यह प्रमाणित होना आवश्यक है कि

क्या वादी द्वारा व्यवहार वाद का उचित मूल्यांकन कर उचित न्यायालय शुल्क अदा की गई है? उक्त वादप्रश्न का प्रमाण भार प्रतिवादियों पर है, क्योंकि लिखित कथनों में वाद के मूल्यांकन एवं न्यायालय शुल्क की आपत्ति प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 104 एवं 106 के अनुसार जिस पक्ष द्वारा किसी तथ्य का अभिकथन किया जाता है, उसे ही उसका प्रमाण प्रस्तुत करना होता है।

49. हस्तगत वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने मुख्यतः दिनांक 14.02.2025 के निरस्तीकरण आदेश को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने तथा प्रतिवादियों को उसके कब्जे एवं निर्माण में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की राहत चाही है। वादी का दावा किसी स्वामित्व घोषणा, संपत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण अथवा किसी धनराशि की वसूली से संबंधित नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए परिणामी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का है।

50. प्रतिवादीगण ने अपने लिखित कथनों में सामान्य रूप से यह आपत्ति अवश्य ली है कि वाद का मूल्यांकन उचित नहीं है, किन्तु विचारण के दौरान इस संबंध में कोई स्वतंत्र मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। न तो किसी प्रतिवादी साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि वाद का मूल्यांकन किस प्रकार त्रुटिपूर्ण है, न यह बताया कि वाद का मूल्यांकन किस विधिक प्रावधान के अंतर्गत किया जाना चाहिए था और न ही यह दर्शाया कि वादी द्वारा देय न्यायालय शुल्क से कम शुल्क अदा किया गया है। इस संबंध में प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 ओमपाल सिंह भदौरिया, प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 रामस्वरूप पटैरिया तथा प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 3 पवन कुमार जैन में से किसी ने भी अपने मुख्यपरीक्षण अथवा प्रतिपरीक्षण में वाद मूल्यांकन अथवा न्यायालय शुल्क संबंधी आपत्ति के समर्थन में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रतिवादियों का यह अभिकथन केवल लिखित कथन तक सीमित रह गया है।

51. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि केवल लिखित कथन में आपत्ति उठा देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना भी आवश्यक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 105 एवं 106 के अनुसार यदि किसी तथ्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाए तो उसका

प्रतिकूल परिणाम उसी पक्ष को भुगतना पड़ता है जिस पर उसका प्रमाण भार है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **Commercial Aviation & Travel Co. vs Vimla Pannalal, (1988) 3 SCC 423** में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन का प्रश्न प्रत्येक वाद के स्वरूप एवं मांगी गई राहत पर निर्भर करता है तथा जहाँ प्रतिवादी वाद मूल्यांकन को चुनौती देता है, वहाँ उसे यह प्रदर्शित करना होता है कि वादी द्वारा अपनाया गया मूल्यांकन विधि के विपरीत है। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत **Suhrid Singh @ Sardool Singh vs Randhir Singh, (2010) 12 SCC 112** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि न्यायालय शुल्क का निर्धारण वाद की प्रकृति एवं मांगी गई राहत के अनुसार किया जाता है तथा प्रत्येक घोषणा संबंधी वाद में संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर न्यायालय शुल्क देय नहीं होता।

52. हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा प्रशासनिक आदेश को चुनौती देते हुए घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की राहत चाही गई है। प्रतिवादियों द्वारा ऐसा कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादी ने म.प्र. न्यायालय शुल्क एवं मूल्यांकन संबंधी लागू विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वाद का मूल्यांकन किया है अथवा न्यायालय शुल्क में कोई कमी की है।

53. अतः उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रतिवादीगण वाद के अनुचित मूल्यांकन अथवा अपर्याप्त न्यायालय शुल्क का तथ्य सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। फलस्वरूप यह माना जाता है कि वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर आवश्यक न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। इस प्रकार वादप्रश्न क्रमांक–4 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादियों के विरुद्ध सिद्ध होता है। अतः वादप्रश्न कमांक 4 **प्रमाणित** के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

<u>वादप्रश्न कमांक 5 का सकारण निष्कर्षः–</u>

54. उक्त वादप्रश्न कि क्या प्रस्तुत वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष से ग्रसित है? उक्त वादप्रश्न का प्रमाण भार प्रतिवादियों पर है, क्योंकि लिखित कथनों में प्रतिवादीगण द्वारा यह आपत्ति ली गई है

कि वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण पोषणीय नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 104 एवं 106 के अनुसार जिस पक्ष द्वारा किसी तथ्य का अभिकथन किया जाता है, उसी पर उसके प्रमाण का भार होता है। उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 3 ने अपने लिखित कथनों में यह आपत्ति की है कि वादी द्वारा शासन, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, शिकायतकर्ता पवन कुमार जैन अथवा अन्य आवश्यक व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए वाद असंयोजन के दोष से ग्रसित है। साथ ही प्रतिवादी क्रमांक 2 ने यह भी आपत्ति की कि उसे उसके पदेन पद के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया है।

55. उक्त संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वाद का मूल विवाद दिनांक 14.02.2025 के उस आदेश की वैधता से संबंधित है, जिसके द्वारा नगरपालिका परिषद, टीकमगढ़ के तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा वादी को पूर्व में प्रदत्त अस्थायी स्वीकृति निरस्त की गई थी। वादी ने उक्त आदेश को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने तथा उसके आधार पर हस्तक्षेप से संरक्षण प्राप्त करने की राहत चाही है। अतः वाद का वास्तविक एवं प्रभावी विवाद (Real Controversy) वादी तथा आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी अर्थात् नगरपालिका परिषद एवं उसके सक्षम अधिकारी के मध्य है।

56. वादी साक्षी क्रमांक 1 ने स्पष्ट कहा है कि उसके विरुद्ध पारित निरस्तीकरण आदेश नगरपालिका द्वारा जारी किया गया था। वहीं प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 रामस्वरूप पटैरिया ने स्वयं स्वीकार किया है कि निरस्तीकरण आदेश उन्होंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में अपने पदेन अधिकारों का प्रयोग करते हुए पारित किया था तथा उनका कृत्य व्यक्तिगत न होकर पदेन था। प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 ओमपाल सिंह भदौरिया ने भी यह स्वीकार किया कि विवादित विषय नगरपालिका परिषद से संबंधित है। प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 3 पवन कुमार जैन ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि यह विवाद मूलतः नगरपालिका परिषद एवं वादी के मध्य का है, यद्यपि उसने यह कहा कि उसका हित भी प्रभावित हुआ है। प्रतिवादीगण ने यद्यपि यह तर्क दिया है कि शासन अथवा संयुक्त संचालक

नगरीय प्रशासन एवं विकास को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, किन्तु इस संबंध में कोई ऐसा वैधानिक प्रावधान अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त अधिकारियों की अनुपस्थिति में प्रभावी एवं पूर्ण निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि वादी ने संयुक्त संचालक द्वारा जारी पत्र को चुनौती नहीं दी है, बल्कि केवल नगरपालिका द्वारा पारित निरस्तीकरण आदेश को चुनौती दी है। इसलिए संयुक्त संचालक इस वाद में आवश्यक (Necessary Party) न होकर अधिक से अधिक उचित (Proper Party) हो सकते थे।

57. जहाँ तक प्रतिवादी क्रमांक 2 को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाए जाने की आपत्ति का प्रश्न है, यह न्यायालय इस तथ्य से सहमत है कि विवादित आदेश प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पदेन अधिकारों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था, व्यक्तिगत क्षमता में नहीं। तथापि केवल किसी अधिकारी को उसके पदनाम के स्थान पर व्यक्तिगत नाम से पक्षकार बनाए जाने से सम्पूर्ण वाद असंयोजन अथवा अपसंयोजन के कारण स्वतः अपोषणीय नहीं हो जाता, विशेषकर जब संबंधित संस्था अर्थात् नगरपालिका परिषद स्वयं वाद में पक्षकार है तथा प्रभावी निर्णय पारित किया जा सकता है।

58. इस संबंध में आदेश 1 नियम 9, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 स्पष्ट रूप से उपबंधित करता है कि किसी वाद को केवल पक्षकारों के असंयोजन अथवा अपसंयोजन के आधार पर विफल नहीं किया जाएगा, बशर्ते न्यायालय के समक्ष उपस्थित पक्षकारों के मध्य विवाद का प्रभावी एवं पूर्ण निर्णय संभव हो। इसका अपवाद केवल आवश्यक पक्षकार के अभाव का है। वर्तमान प्रकरण में नगरपालिका परिषद, जिसके आदेश को चुनौती दी गई है, स्वयं वाद में पक्षकार है। अतः विवाद का प्रभावी एवं पूर्ण निर्णय उसके बिना असंभव नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **Deputy Commissioner, Hardoi vs Rama Krishna Narain, AIR 1953 SC 521** में प्रतिपादित किया कि आवश्यक पक्षकार वह है जिसकी अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित ही नहीं की जा सकती। इसी सिद्धांत को पुनः न्यायदृष्टांत **Mumbai International Airport (P) Ltd. vs Regency Convention Centre & Hotels (P) Ltd., (2010) 7 SCC**

417 में स्पष्ट करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि Necessary Party वह है जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय प्रभावी एवं बाध्यकारी निर्णय देने में असमर्थ हो, जबकि Proper Party वह है जिसकी उपस्थिति विवाद के पूर्ण एवं प्रभावी निर्णय में सहायक हो सकती है, परंतु उसकी अनुपस्थिति से वाद अपोषणीय नहीं हो जाता।

59. हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण यह सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे हैं कि शासन, संयुक्त संचालक अथवा किसी अन्य व्यक्ति की अनुपस्थिति में इस न्यायालय द्वारा प्रभावी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी क्रमांक 3 स्वयं वाद में पक्षकार है तथा उसके हितों का प्रतिनिधित्व न्यायालय के समक्ष हो चुका है। नगरपालिका परिषद भी पक्षकार है, जिसने अपने लिखित कथन, साक्ष्य एवं प्रतिरक्षा प्रस्तुत की है। अतः किसी आवश्यक पक्षकार की अनुपस्थिति सिद्ध नहीं होती।

60. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 104 एवं 106 के अधीन प्रतिवादियों पर जो प्रमाण भार था, उसे वे निर्वहन नहीं कर सके। उन्होंने केवल लिखित कथन में सामान्य आपत्ति की, किन्तु उसके समर्थन में कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि किन कारणों से वर्तमान वाद आवश्यक पक्षकारों के अभाव में अपोषणीय हो जाता है। अतः समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा विधिक स्थिति के सम्यक् मूल्यांकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रस्तुत वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष से ग्रसित नहीं है तथा प्रतिवादीगण इस आपत्ति को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। फलस्वरूप, वादप्रश्न क्रमांक–5 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादियों के विरुद्ध सिद्ध होता है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 5 **अप्रमाणित** के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

–: सहायता एवं वाद व्यय :–

61. उपर्युक्त समस्त वादप्रश्नो पर किए गए विचारण एवं उनके निष्कर्षों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा हैं कि वादी मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नगरपालिका की वादग्रस्त दुकान क्रमांक 33 व 34 के संबंध

में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 वादी पर बंधनकारी न होकर शून्य एवं निष्प्रभावी है एवं वादी इस संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकारी है। अतः उपरोक्त विधिक सिद्धातों एवं विवेचना के आलोक में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद **स्वीकार** कर निम्नानुसार आज्ञप्त किया जाता है।

1. यह घोषित किया जाता है कि वादी विवादित दुकान क्रमांक 33 एवं 34 का वैध किरायेदार एवं आधिपत्यधारी है।
2. यह भी घोषित किया जाता है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नगरपालिका की वादग्रस्त दुकान क्रमांक 33 व 34 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 वादी पर बंधनकारी न होकर शून्य एवं निष्प्रभावी है।
3. प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वह, वादी के आधिपत्य की दुकान क्रमांक 33 एवं 34 में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें।
4. वाद व्यय के संबंध में, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रत्येक पक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेगा।
5. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने या नियमानुसार जो भी कम हो अदा किया जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाए।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर पारित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित।

SHUBHAM DAHERIYA
Digitally signed by SHUBHAM DAHERIYA
Date: 2026.07.24 17:18:29 +0530

(शुभम डहेरिया)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड,
टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम
अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ म०प्र०

(शुभम डहेरिया)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड,
टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम
अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ म०प्र०